

आदेश ब इजलासा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या :- 249/2023 (धारा 14 शिक्थोरिटाईजेशन)  
बैंक ऑफ बडौदा, शाखा : 218, जौहरी बाजार, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स अग्रवाल हौजरी एण्ड वूल एम्पोरियम,  
जरिये प्रोपराईटर स्व० श्री नन्द लाल अग्रवाल के कानूनी वारिस
2. श्री आशीष अग्रवाल पुत्र स्व० श्री नन्द लाल अग्रवाल,  
पता :- दुकान नम्बर 18-19, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।  
एवं नन्द विला, सी-37, राम नगर, तेरापंथी विद्यालय रोड, शास्त्री नगर, जयपुर।
3. श्री अमूल्य अग्रवाल पुत्र स्व० श्री नन्द लाल अग्रवाल,  
पता :- नन्द विला, सी-37, राम नगर, तेरापंथी विद्यालय रोड, शास्त्री नगर, जयपुर।  
एवं 263/659, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।  
एवं दुकान नम्बर 18-19, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 20.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10-01-2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अमूल्य अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति 263/659, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 47.625 वर्गमीटर को बन्धक रख कर एवं स्टॉक फर्म की मौजूदा सम्पत्ति का वर्तमान व भविष्य एवं बुक डेब्ट्स को दृष्टिबंधक कर 37,70,086/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली को उपरोक्तन से स्पष्ट है कि प्राचीं दिल्लीय संस्था ने अप्राचीणता को 37,70,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राचीणता ने उपरोक्त तीर्णत सम्बन्धित संस्था के रूप में प्राचीं दिल्लीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राचीणता का ऋण खाता एन पी ए धोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण सशुल्क न्य वसूल हुए 42,88,552.72/- रुपये जमा करने हेतु अप्राचीणता को दिनांक 10.11.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्राचीणता द्वारा उक्त नोटिस का दिल्लीय संस्था को जवाब दिया गया जिसका निस्तारण दिल्लीय संस्था द्वारा कर दिया गया है। अप्राचीणता द्वारा दिल्लीय संस्था को बकाया ऋण सशुल्क का मुताबतन भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया सशुल्क एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक सशुल्क बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्लीय संस्था को बकाया सशुल्क नहीं सम्बन्धित का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत दिल्लीय संस्था को पक्ष में बकाया सशुल्क नहीं सम्बन्धित का मौलिक कब्जा दिवाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्धन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राचीं दिल्लीय संस्था के पक्ष में अप्राचीं श्री अमृत्य अदालत के समित्त की बकाया सम्बन्धित 200/059, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 47.825 वर्गमीटर एवं स्टॉक चर्मे की मौजूदा सम्बन्धित का वर्तमान व भविष्य एवं बृह डेवल्स ट्रस्टिबन्धक का मौलिक रूप से कब्जा प्राचीं दिल्लीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (प्रामीण) जयपुर को भेज कर भिन्न जाये की उक्त सम्बन्धित का कब्जा प्राचीं दिल्लीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर दिल्लीय संस्था को दिखाने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट निजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर भिन्न दाखल हो।

आज दिनांक 20.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर